

न्यायालय-राजेश्वरी सूर्यवंशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कवर्धा

--विविध आदेश--

क्रं.-क्यू/मु.न्या.मजि./2025

कबीरधाम दिनांक-03.05.2025

मैं राजेश्वरी सूर्यवंशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम(छ.ग.) दांडिक कार्य रिमांड के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12(1) एवं 13(1) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये **माह मई-जून-2025** में घोषित सार्वजनिक अवकाश अवधि में जिला मुख्यालय कबीरधाम एवं बाह्य न्यायालय पंडरिया, जिला-कबीरधाम छ.ग. में अत्यावश्यक/रिमांड कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार आदेशित करती हूँ :-

क्र.	न्यायाधीश का नाम	रिमाण्ड एवं अत्यावश्यक कार्य संपादित करने का दिनांक
1.	श्री पल्लव रघुवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कबीरधाम छ.ग.	मई- 17.05.2025, 18.05.2025
		जून- 21.06.2025, 22.06.2025
2.	सुश्री रूचिता अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम छ.ग.	मई- 10.05.2025,
		जून- 01.06.2025, 07.06.2025, 08.06.2025, 29.06.2025
3.	किरण पन्ना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम छ.ग.	मई- 04.05.2025, 11.05.2025, 25.05.2025
		जून- 14.06.2025, 15.06.2025,

टीप:- 1. माह के प्रथम दो सप्ताह में घोषित शासकीय अवकाश में बाह्य न्यायालय पंडरिया, जिला-कबीरधाम छ.ग. के रिमाण्ड कार्य का निष्पादन पंडरिया में पदस्थ मजिस्ट्रेट द्वारा तथा पदस्थ मजिस्ट्रेट की अवकाश की दशा में एवं शेष अवकाश दिवस में रिमाण्ड कार्य का निष्पादन ज्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।

2. जिला मुख्यालय होने के कारण कवर्धा में प्रत्येक परिस्थिति में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक न्यायिक कार्य के संपादन हेतु अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे।

3. उक्त रिमाण्ड ज्यूटी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति से परिवर्तित किये जा सकते हैं, जिसके लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कवर्धा को लिखित या मौखिक सूचना, तिथि के पूर्व अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेगी।

दिनांक-03.05.2025

स्थान-कबीरधाम(कवर्धा)

Sd/-
(राजेश्वरी सूर्यवंशी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कबीरधाम (छ.ग.)